


119/2011 अजय कुमार बनाम अजमेरी खां

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म में
21/8/2011	<p>अधिकतम प्रती अनुपस्थितता दीवकता अप्रती संघ अनुपस्थितता फल निगयनी का निस्तारण हो. युका ही एक पृथक् से व्यगन फल चलाये जाने का कोई शौचियत नहीं है व्यगन प्राप्ति रकारिण किया जाता है व्यगन प्राप्ति फल फल निगयनी से संलग्न रहे।</p> <p> जिला कलेक्टर खैरा</p>	